छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा　　षष्ठम् सत्र　　अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 25, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 85 तारांकित एवं 93 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. सदन को सूचना

"छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @47"

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे राज्य के "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @47" का विमोचन कार्यक्रम दिनांक 17 जुलाई, 2025 को सायं 5.00 बजे मेफेयर लेक रिसोर्ट, नवा रायपुर में निर्धारित है। इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित सदस्य सादर आमंत्रित हैं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24,

(2) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (क्रमांक 49 सन् 12016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(3) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ10-64/2009/खाद्य/29-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25, तथा

(4) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2022-23,

पटल पर रखे ।

4. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने "प्रदेश में विद्युत टैरिफ में वृद्धि एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में व्याप्त अनियमितता" संबंधी विषय पर दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

इस संबंध में माननीय सदस्य सर्वश्री उमेश पटेल, देवेन्द्र यादव, रामकुमार यादव, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, लखेश्वर बघेल एवं श्रीमती अनिला भेंड़िया ने भी विचार व्यक्त किए।

5. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में विद्युत टैरिफ में वृद्धि एवं छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में व्याप्त अनियमितता

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में विद्युत टैरिफ में वृद्धि एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में व्याप्त अनियमितता संबंधी विषय में 33 माननीय सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की सूचना सर्व प्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर वक्तव्य दिया।

पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रदेश में विद्युत टैरिफ में वृद्धि एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में व्याप्त अनियमितता संबंधी विषय पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर वक्तव्य देते हुए "प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनांतर्गत" केन्द्र शासन द्वारा प्रावधानित 78,000/- रूपये की सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 30,000/- रूपये अनुदान दिए जाने की घोषणा पर धन्यवाद व्यक्त किया।

इस संबंध में श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा में किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर शासन के वकतव्य पर धन्यवाद देने की प्रथम बार परम्परा स्थापित करने पर डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया ।

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री द्वारा डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया एवं इस कार्यकाल को प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका हेतु याद किए जाने का उल्लेख किया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री इन्द्र साव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती चातुरी नंद सदस्य ने प्रदेश में शक्ति चलित कृषि यंत्रों व उपकरणों के वितरण हेतु लागू चौम्प्स व्यवस्था में अनियमितता होने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(2) श्री अनुज शर्मा, सदस्य ने मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को आवंटित की जाने वाली खदान से आस-पास के लगे ग्रामों में गाड़ियों के परिवहन एवं प्रदूषण से होने वाली जान-माल की क्षति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

7. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार अनुसार निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्रीमती कविता प्राण लहरे

(3) श्री इन्द्रशाह मंडावी

(4) श्री रोहित साहू

(5) श्री दलेश्वर साहू

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री कुंवर सिंह निषाद
2. श्री अजय चन्द्राकर
3. श्री रोहित साहू

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025)

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति के प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष ने पुरःस्थापन की प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान की।

उक्त विधेयक विभागीय मंत्री द्वारा पुर: स्थापित किये जाने से पहले माननीय डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस संशोधन विधेयक का यह कह कर विरोध किया गया

कि यह वह कृषि का कानून है, जिसे केन्द्र सरकार ने तीन कानून के नाम से देश में लाया था, जिसे हम सब लोगों के विरोध से वापस लेना पड़ा था। यह जनहित में नहीं है, इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं।

10. बहिष्कार

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) विरोध में सभा की कार्यवाही से बहिष्कार किया गया।)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आहदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर :-

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025),

(2) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) की महत्ता तथा उपदेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान करते हुये चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया है । मैं, समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025)

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
गुरु खुशवंत साहेब, सर्वश्री अनुज शर्मा, सुशांत शुक्ला।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025)

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री धरमलाल कौशिक, गजेन्द्र यादव।

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 1.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 26, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा